राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.37( )परावि/प्र.2/क.लि.सीधी भर्ती/SSA-NRHM/2017/ 2071 जयपुर, दिनांकः 26/5/17

—:: परिपत्र ::—

विषयः एन.आर.एच.एम. एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुबन्ध/प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने बाबत।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 1549 दिनांक 21.04.2017 के द्वारा जारी मार्गदर्शन में सर्व शिक्षा अभियान योजना को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में शामिल नहीं माना जाकर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं होना निर्धारित किया गया था, लेकिन एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 6082/2017 नीरज प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में एन.आर.एच.एम. में कार्यरत रहे पात्र प्रार्थियों को अनुभव का लाभ देने का निर्णय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित किया गया है। इसी प्रकार जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 4759/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से सर्व शिक्षा अभियान के अभ्यर्थियों को अनुभव अंकों का लाभ देने का निर्देश प्रदत्त किया है। अति0 महाधिवक्तागण द्वारा भी माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना करने की राय प्रदान की जा चुकी है। सम्पूर्ण प्रकरण के परीक्षण उपरान्त विभाग द्वारा यह विनिश्चत किया गया है कि एन.आर.एच.एम. एवं सर्व शिक्षा अभियान योजनाओं में जिला स्तर तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन मानते हुए उक्त योजनाओं में जिला स्तर तक कार्यरत रहे पात्र उन अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु बोनस का लाभ देय होगा, जो विज्ञप्ति में बोनस हेतु पात्र घोषित पदों पर कार्यरत रहे हों।

उक्त वर्णित दोनों योजनाओं एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य सभी योजनाओं में बोनस का लाभ देते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि अभ्यर्थी किसी भी योजना में प्रावधित मद के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृत पद पर अनुबंधित अथवा प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत रहा हो।

एन.आर.एच.एम. एवं सर्व शिक्षा अभियान में जिला स्तर तक एवं उससे नीचे कार्यरत रहे उन कार्मिकों को पात्र होने पर बोनस/अनुभव का लाभ देय माना जायेगा, जो विज्ञप्ति में वर्णित पदों पर कार्यरत रहे हैं। **दोनों योजनाओं के राज्य स्तरीय मुख्यालयों पर कार्यरत रहे ऐसे कार्मिकों को अनुभव का लाभ देय नहीं होगा।** प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्य कर चुके कार्मिकों को प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण एन.आर.एच.एम. योजना के संदर्भ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तथा सर्व शिक्षा अभियान योजना के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) एवं पदेन डी.पी.सी. द्वारा किया जाकर, प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा, तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जायेगा। सीधे अनुबन्ध पर कार्य कर चुके पात्र कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र एन.आर.एच.एम. योजना के संदर्भ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के संयुक्त हस्ताक्षरों से दिया जायेगा।

अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2013 तक कार्य कर चुके पात्र अभ्यर्थियों को इस तिथि से पहले की अवधि का ही देय होगा, उसके बाद का नहीं।

अगर किसी अनुबन्ध/प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थी की सेवाऐं वित्तीय अनियमितता/गबन/अनुशासनहीनता/आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता या अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन के कारण समाप्त कर दी गई हो तो ऐसे कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक 1218 दिनांक 24.03.2017 में संलग्न प्रपत्र– 'ए' एवं 'बी' को उपयोग में लिया जा सकता है।

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से यह अपेक्षित है कि वे संबंधित प्लेसमेंट एजेन्सियों से उनके माध्यम से योजनाओं में कार्य कर चुके कार्मिकों का विवरण संबंधित प्लेसमेंट एजेन्सियों से तत्काल प्राप्त कर लें, ताकि उनमें परिवर्तन इत्यादि नहीं किया जा सके।

उक्त योजनाओं के अनुभव प्रमाण पत्र आगामी एक सप्ताह में आवश्यक रूप से जारी कर लिये जावें। इस हेतु स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाकर अभ्यर्थियों को सूचित किया जा सकता है। समस्त पात्र अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य 05 जून, 2017 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावें एवं तद्नुसार मैरिट लिस्टों में संशोधन कर लिया जाऐं। परिणाम घोषित करने बाबत अलग से तिथि घोषित की जायेगी।

संशोधित वरीयता सूचियां तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जावें कि मूल परिणाम में श्रेणीवार मूल परिणाम में न्यूनतम कटऑफ से न्यून मैरिट के किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा, चाहे पूर्व में घोषित परिणाम अनुसार किसी अभ्यर्थी के कार्यग्रहण नहीं करने पर पद रिक्त रह गया हो।

26/5/17

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सहायक, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सहायक, निदेशक, राष्ट्रीय मिशन एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. शासन उप सचिव(विधि), पंचायती राज विभाग।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।
12. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) एवं पदेन डी.पी.सी., समस्त।
13. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

26/5/17

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D:\ACJS_N\LDC 2013 Circular NRHM SSA.docx